अध्याय - 3

कम्पनी अधिनियम, 1956 और इसका प्रशासन

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उद्देश्य एवं नीति

3.1 कम्पनियां अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । हमारे देश में, कम्पनी अधिनियम,1956 मुख्यतः कम्पनियों के गठन, वित्त-पोषण, कार्यकरण तथा समाप्ति को नियंत्रित करता है । अधिनियम में सभी संगत पहलुओं जिसमें कम्पनियों के संगठनात्मक, वित्तीय तथा प्रबंधकीय पहलू शामिल हैं, के संबंध में नियामक तंत्र विहित है । समाप्त किए जाने के मामले वर्तमान में मुख्यतः उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आते हैं । वित्तीय तथा प्रबंधन पहलुओं का नियंत्रण अधिनियम का मुख्य केन्द्र है । निगमित क्षेत्र के कार्यकरण में यद्यपि कम्पनियों की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, निवेशकों तथा शेयरधारकों की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है । कम्पनी अधिनियम इन दो प्रतिस्पर्धी कारकों नामतः प्रबंधन स्वायतता तथा निवेशक सुरक्षा के मध्य संतुलन लाने की भूमिका अदा करता है । इस अधिनियम के मुख्य उददेश्य निम्नानुसार हैं -

(क) शेयरधारकों की बड़ी संख्या के हितों की रक्षा करना क्योंकि किसी कम्पनी में स्वामित्व तथा प्रबंधन पृथक होते हैं;

(ख) लेनदारों के हितों की रक्षा करना;

(ग) भारत में कम्पनियों के सही विकास में सहायता करना क्योंकि निगमित क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है;

(घ) सरकार की सामाजिक तथा आर्थिक नीति के अंतिम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करना;

(ङ) सरकार को लोकहित तथा विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कम्पनी के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त शक्तियों से लैस करना ताकि अनैतिक प्रबंधन से सभी संबंधितों के हितों की रक्षा की जा सके ।

इन उददेश्यों की प्राप्ति निम्नलिखित पैराग्राफों में बताए गए उपायों के माध्यम से की जाती है -

कम्पनियों पर नियंत्रण

3.2.1 कम्पनी अधिनियम केन्द्रीय सरकार को कम्पनियों की लेखा बहियों का निरीक्षण करने, विशेष लेखा परीक्षा के लिए निर्देश देने, कम्पनियों के कार्यकलापों के अन्वेषण का आदेश देने और कम्पनी अधिनियम, 1956 के उल्लंघन के लिए अभियोजन चलाने की शक्तियां प्रदान करता हैं। कम्पनियों की लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की जांच निरीक्षण और अन्वेषण निदेशालय और कम्पनी रजिस्ट्रार के अधिकारियों द्वारा किया जाता है । ये निरीक्षण यह पता लगाने के लिए किए जाते हैं कि क्या कम्पनियां अपने कार्यकलापों को कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार चला रही हैं, क्या किसी कम्पनी या कम्पनियों के समूह द्वारा लोकहित के प्रतिकूल कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं किया जा रहा है, और यह पता लगाने के लिए कि कोई ऐसा कुप्रबंधन तो नहीं है जिसमें शेयरधारकों, देनदारों, कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । जहाँ कहीं निरीक्षण रिपोर्ट में ऐसी सूचना मिलती है, जिससे अन्य विभागों और अभीकरणों जैसे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रवर्तन निदेशालय, राज्य सरकार अथवा भविष्य निधि प्राधिकरण आदि के हितों की रक्षा होती है तो यह सूचना उन्हें भेज दी जाती है । यदि किसी निरीक्षण से प्रथम दृष्टता धोखाधडी अथवा छल का कोई मामला प्रकट होता है तो उसे केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को अन्वेषण हेतु भेज दिया जाता ।

3.2.2 कम्पनी अधिनियम की धारा 235 और 237 में केन्द्र सरकार को इन धाराओं में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन कम्पनी के कार्यकलापों की जांच करने का आदेश

देने की शक्ति प्रदान की गई है । निरीक्षकों को नियुक्त करने, जांच कराने और जांच की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की शक्ति भी केन्द्र सरकार के पास है । कम्पनी विधि बोर्ड को किसी कम्पनी के मामलों की जांच कराने के लिए सदस्यों के आवेदनों पर विचार करने की शक्ति भी प्राप्त है । इस प्रकार की शक्तियां जाँच करने के आदेश देने के लिए ऐसी परिस्थितियों में होती है जहाँ कम्पनी का व्यापार उसके लेनदारों को धोखा देने के आशय से, अथवा गैर-कानूनी प्रयोजनों के लिए, या इस रीति से किए जा रहे हों जो इसके किसी सदस्य के लिए अन्यायपूर्ण हो अथवा वह कम्पनी किसी कपटपूर्ण अथवा गैर-कानूनी प्रयोजन के लिए बनाई गई हो ।

3.2.3 कंपनियों पर अपने दस्तावेजों को फाइल करने में चूक अथवा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए अभियोजन चलाए जाते है । कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 में एक नई धारा 621क शामिल की गई है जिसके अन्तर्गत कम्पनी विधि बोर्ड तथा क्षेत्रीय निदेशकों को यह शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वे अभियोजन के स्थान पर अपराधों को जुर्माने द्वारा दण्डनीय बनाने के लिए परिवर्तन कर सकते हैं । शमन करने की शक्ति का प्रयोग उन अपराधों के संबंध में नहीं किया जा सकता जिनमें दण्ड केवल कारावास या कारावास तथा जुर्माना दोनों हों ।

3.2.4 पब्लिक लिमिटेड कम्पनी की अनुषंगी पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट कम्पनी कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 388 के साथ पठित धारा 269 के अन्तर्गत प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्त कर सकती है तथा उन्हें अधिनियम की अनुसूची XIII के साथ पठित धारा 198 और 309 के अन्तर्गत यथानिर्धारित केन्द्र सरकार के बिना किसी अनुमोदन के स्वत: ही पारिश्रमिक प्रदान कर सकती है । तथापि, कतिपय परिस्थितियों में एक कम्पनी को केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होता है । ये परिस्थितियां निम्न हैं:-

1. यदि कम्पनी को कोई हानि/अपर्याप्त लाभ हो तथा प्रस्तावित पारिश्रमिक कम्पनी की प्रभावी पूंजी के आधार पर अनुसूची XIII के अन्तर्गत यथानिर्धारित सीमा से अधिक हो ।
2. यदि, कम्पनी लार्भाजक कम्पनी हो, तो प्रदान किया जाने वाला प्रस्तावित पारिश्रमिक एक प्रबंधकीय कार्मिक के मामले में निवल लाभ के 5% से अधिक तथा एक से अधिक प्रबंधकीय कार्मिक के मामले में निवल लाभ के 10% से अधिक हो ।
3. यदि, कम्पनी ने अपने ऋणों (पब्लिक निक्षेपों सहित) और इस पर ब्याज का भुगतान करने में चूक की हो ।
4. जब कम्पनी की कोई पारिश्रमिक समिति न हो ।
5. जब नियुक्त कार्मिक एनआरआई हो।
6. यदि गैर-कार्यकारी निदेशकों के मामले में, भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक एक प्रबंधकीय कार्मिक होने पर कम्पनी के निवल लाभ के 1% से अधिक हो तथा एक से अधिक प्रबंधकीय कार्मिक होने पर कम्पनी के निवल लाभ के 3%से अधिक हो ।
7. यदि कम्पनी ने अधिनियम की अनुसूची XIII के भाग - I में यथानिर्धारित अधिनियम का उल्लंघन किया हो तथा प्रस्तावित प्रबंधकीय कार्मिक को ऐसे उल्लंघन के लिए कोई दण्ड दिया गया हो या संबंधित प्राधिकारी ने जुर्माना लगाया हो ।

निवेशक सुरक्षा

3.3.1 कम्पनी कार्य मंत्रालय के निवेशक सुरक्षा (आईपीसी) की स्थापना 1993 में निवेशकों की शिकायतों से निपटने के लिए की गई थी । इसे व्यथित निवेशकों से बड़ी संख्या में शिकायतों प्राप्त होती हैं । शिकायतें मुख्यतः निम्नलिखित मुददों से संबंधित होती हैं -

1. वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना
2. लाभांश राशि प्राप्त न होना
3. आवेदन राशि को वापस न लौटाया जाना
4. पूरे हो चुके जमा और उस पर ब्याज का भुगतान न होना ।
5. डूप्लीकेट शेयर प्राप्त न होना ।
6. शेयरों के अंतरण का पंजीकरण नहीं किया जाना

7. शेयर प्रमाण-पत्रों का जारी न किया जाना ।

8. ऋण-पत्र प्रमा-पत्र की प्राप्ति न होना

9. राइट बोनस शेयर जारी न किया जाना

10. विलंब भुगतान पर ब्याज को न दिया जाना

11. ऋण-पत्र तथा उस पर ब्याज का विमोचन न होना

12. परिवर्तन पर शेयर प्रमाण-पत्र की प्राप्ति न होना ।

3.3.2 निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई करने में सुधार करने के उददेश्य से निवेशकों तथा जमाकर्ताओं द्वारा शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु एक नई प्रणाली को मंत्रालय के एमसीए-21 ई-गवर्नेंस कार्यक्रम में विकसित किया गया है । नई प्रणाली निवेशकों तथा जमाकर्ताओं द्वारा आईपीसी के पास अपने शिकायतों को डाक के माध्यम से लिखित में भेजे जाने की आवश्यकता के बिना उसे इलैक्ट्रोनिक रूप से दर्ज कराने को सुविधाजनक बनाती है । यह प्रणाली एक शिकायत संख्या जारी करती है जोकि भविष्य के संदर्भ हेतु एक ऑनलाइन स्वीकृति है और यह कम्पनी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट (www.mca.gov.in) पर उपलब्ध है ।

3.3.3 निवेशक शिकायत समाधान प्रणाली में क्षेत्र कार्यालय को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए क्षेत्रीय निदेशकों और कम्पनियों के पंजीयक के प्रत्येक कार्यालय में एक नामित अधिकारी की अध्यक्षता में एक नोडल दल गठित किया गया है ।

3.3.4 आईपीसी को 1.4.2006 से 31.12.2006 के अवधि के दौरान निवेशकों/ जमाकर्ताओं से मुख्यालय में 1172 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 187 शिकायतों को निपटा दिया गया है । शेष शिकायतों हेतु क्षेत्राधिकार वाले कंपनियों के पंजीयक के माध्यम से कार्रवाई प्रारम्भ की गई है ।

3.3.5 मंत्रालय शिकायत के निपटान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, आर्थिक मामले विभाग तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से भी समन्वय करता है, ऐसा तब होता है जहाँ शिकायत इन एजेंसियों से संबंधित हो ।

लुप्त कंपनियां

3.4.1 पूंजी बाजार में 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान काफी तेजी देखी गई जब कई नई कंपनियों ने पूंजी बाजार में आकर शेयर /ऋण-पत्र के सार्वजनिक इश्यू के माध्यम से जनता से निधियां एकत्र की । इनमें से कुछ कंपनियों ने बाद में निधियों को जुटाने के समय जनता से की गई अपनी प्रतिबद्धताओं को निभाने में चूक की । सेबी ने अक्तूबर, 2000 तक ऐसी 229 कंपनियों की पहचान लुप्त कंपनियों के रूप में करी जोकि 1992-1998 के दौरान आईपीओ लेकर आई थी ।

3.4.2 वित्त मंत्री ने 27.2.99 को अपने बजट भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ, निवेशकों से पैसा एकत्र करके उसका दुरूपयोग करने वाले अनैतिक प्रवर्तकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और कम्पनी कार्य विभाग (डीसीए)के मध्य एक संयुक्त तंत्र स्थापित करने की घोषणा की थी। तदनुसार, कम्पनी कार्य मंत्रालय के सचिव तथा सेबी के अध्यक्ष की सह-अध्यक्षता वाली एक समन्वयन तथा प्रबोधन समिति (सीएमसी) का गठन 1999 में लुप्त कंपनियों/उनके प्रर्वतकों से संबंधित मुददों का निपटान करने और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की प्रगति का प्रबोधन करने के लिए किया गया था । समन्वयन तथा प्रबोधन समिति की सहायता के लिए कंपनी कार्य मंत्रालय(एमसीए) के चार क्षेत्रीय निदेशकों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चार, प्रत्येक क्षेत्र में एक, कार्यबल गठित किए गए हैं । इन कार्यबल के अन्य सदस्य सेबी, क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज और संबंधित कंपनी पंजीयक के प्रतिनिधि है । इन कार्यबल का मुख्य दायित्व ऐसी कंपनियों की पहचान करना है जो लुप्त हो गई है, अथवा जिन्होंने निवेशकों से जुटाई गई निधियों का दुरूपयोग किया है, कंपनी अधिनियम अथवा सेबी अधिनियम अथवा अन्य किसी लागू कानून के अनुसार उचित कार्रवाई सुझाना/करना, और विभिन्न मामलों में की गई कार्रवाई का प्रबोधन करना।

3.4.3 किसी कम्पनी को लुप्त के रूप में निर्दिष्ट किए जाने हेतु निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए गए है -

(i) ऐसी कम्पनियां जिन्होंने 2 वर्ष की अवधि हेतु स्टॉक एक्सचेंज/आरओसी की सूचीकरण आवश्यकताओं/ फाइलिंग आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है;

(ii) एक्सचेंज को कम्पनी से 2 वर्ष से कोई पत्र व्यवहार प्राप्त नहीं हुआ है;

(iii) स्टॉक एक्सचेंज के निरीक्षण के समय उल्लिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर कम्पनी का कोई कार्यालय नहीं था ।

किसी कम्पनी को लुप्त कम्पनी माने जाने के लिए सभी विहित शर्तों को पूरा किया जाना होता है और एक अथवा अधिक को पूरा करने वाली कन्तु सारी शर्तों को पूरा न करने वाली कम्पनियों को लुप्त कम्पनी नहीं माना जाता है।

3.4.4 प्रारम्भ में लुप्त कंपनियों के रूप में चिन्हित की गई कुल 229 कम्पनियों में से सीएमसी ने 25.2.2003, 15.1.2004, 23.11.2004 तथा 18.3.2005 को हुई अपनी बैठकों में क्रमशः 44, 63, 7 तथा 1 कम्पनियों के नाम को लुप्त कंपनियों की सूची में से हटा दिया था क्योंकि ये कंपनियों सांविधिक रिटर्न आदि को दर्ज कराने में नियमित पाई गई जो कि लुप्त कंपनियों की संख्या को कम करके 114 तक लाने में परिणित हुआ ।

3.4.5 मंत्रालय द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा भारतीय दण्ड संहिता के संगत प्रावधानों के अंतर्गत लुप्त कंपनियों तथा इसके प्रवर्तकों/निदेशकों के विरूद्ध निम्नलिखित कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं -

(i) 107 लुप्त कंपनियों के विरूद्ध संदर्शिका में गलत बयानी, व्यक्तियों को धोखाधड़ी से निवेश के लिए प्रेरित करना और ऑफर दस्तावेजों में गलत विवरण देने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 62/63, 68 तथा 628 के अंतर्गत अभियोजन चलाया है ।

(ii) सांविधिक रिटर्न न भरे जाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अभियोजन चलाए गए ।

(iii) 102/95 लुप्त कम्पनियों और उनके प्रवर्तकों/निदेशकों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत प्राथमिकी दायर/दर्ज की गई है ।

(iv) लुप्त कंपनियों तथा उनके निदेशकों के विरूद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत चलाए गए अभियोजनों के सभी मामलों और भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दायर/दर्ज प्राथमिकी की निकट निगरानी हेतु अगस्त 2004 में एक प्रबोधन समिति (एमसी) गठित की गई थी । समिति के सह-अध्यक्ष, सचिव, कम्पनी कार्यालय मंत्रालय तथा अध्यक्ष, सेबी हैं और इसमें विभिन्न राज्य सरकारों के वरिष्ठ पदाधिकारी तथा पुलिस आयुक्त, दिल्ली अथवा उसके प्रतिनिधि शामिल होते हैं । संबंधित राज्य प्राधिकारियों ने कम्पनियों के पंजीयक के साथ प्रभावी समन्वय के लिए नोडल अधिकारियों को नामित किया है ।

(v) लुप्त कंपनियों, उनके निदेशक/प्रवर्तकों के विरूद्ध की गई क्षेत्र-वार संक्षिप्त कार्रवाई के संबंध में नवीनतम स्थिति नीचे दी गई है -

(vi) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 397/398/ 402/408 जिन्हें धारा 406 के साथ पढ़ा जाता है के अंतर्गत कम्पनी विधि बोर्ड (सीएलबी) के समक्ष 2 चयनित लुप्त कंपनिया के संबंध में इन दो लुप्त कंपनियों के प्रवर्तकों/निदेशकों द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त संपत्तियों/मूल्यों को समाप्त करने के संबंध में याचिका दायर की गई है । एक मामले अर्थात मैसर्स नुलाइन ग्लासवेयर (इंडिया) लिमिटेड, में विधि मामले विभाग से सहमति प्राप्त करने के पश्चात माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष सीएलबी द्वारा पारित खारिज आदेश के विरूद्ध अपील दायर की गई है और यह मामला सुनवाई हेतु अभी सूचीबद्ध किया जाना है । दूसरे मामले अर्थात मैसर्स एवीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ने अंतिम तर्क-वितर्क हो गए हैं और निर्णय सुरक्षित है ।

	उत्तरी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	कुल
लुप्त कम्पनियों की संख्या	17	49	14	34	114
उन कंपनियों की संख्या जिनके विरूद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 62/63, 68 तथा 628 के अंतर्गत अभियोजन दायर किया गया हो	17	48	11	31	107
उन कंपनियों की संख्या जिनके विरूद्ध सांविधिक रिटर्न दाखिल न करने के लिए अभियोजन चलाए गए हों ।	16	47	11	20	94
उन कंपनियों की संख्या जहाँ प्राथमिकी दायर कराई गई है	16	45	14	27	102
उन कंपनियों की संख्या जहाँ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है	15	43	13	24	95

(vii) मंत्रालय द्वारा निवेशकों के हितों की रक्षा करने के संबंध में नए कंपनी कानून पर सरकार को परामर्श देने के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा मुहैया कराए जाने की दृष्टि से इसकी जाँच की जा रही है ।

(viii) अधिक जनता की जानकारी हेतु लुप्त कंपनियों तथा उनके प्रवर्तकों/ निदेशकों के ब्यौरों को मंत्रालय की वेबसाइट (http://mca.gov.in) पर रखा गया है।

(ix) निवेशकों द्वारा अनैतिक प्रवर्तकों/कम्पनियों तथा निकायों से अपनी रक्षा किए जाने में सहायता के लिए प्राइम इंवेस्टर प्रोटेक्शन एशोसिएशन एण्ड लीग द्वारा निवेशक शिक्षा तथा बचाव निधि से क्तिीय सहायता के साथ www.watchoutinvestors.com नामक एक नई वेबसाइट बनाई गई है । यह वेबसाइट एक राष्ट्रीय वेब आधारित रजिस्ट्री है जिसमें कंपनियों, मध्यवर्ती और जहाँ कही उपलब्ध हो पैसे निकायों से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें आर्थिक चूक और /अथवा नियमों/दिशा-निर्देशों के गैर-अनुपालन हेतु दोषी ठहराया गया है । यह निवेशकों को कोई नए निवेश करने और अपनी विद्यमान निवेशकों की लगातार समीक्षा हेतु ऐसे निकायों/व्यक्तियों की निःशुल्क, तीव्र तथा उपयोगकर्ता के अनुरूप खोज करने को समर्थ बनाता है । यह वेबसाइट मंत्रालय की ओर से निवेशक जागरूकता तथा शिक्षा सहित विभिन्न साधनों के माध्यम से निवेशक सुंरक्षा में वृद्धि करने के लिए एक कदम है।

(x) लुप्त कंपनियों तथा उनके प्रवर्तकों/निदेशकों के ब्यौरे समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं जिसमें निवेशकों को आगे आकर इन कंपनियों के विरूद्ध अपनी शिकायतों को दर्ज कराने को आसान बनाया गया था ताकि पुलिस प्राधिकारियों को जाँच करने और अदालतों में उनके विरूद्ध अभियोजन चलाए जाने में सहायता मिले ।

(xi) मंत्रालय लुप्त कंपनियों जिनके इश्यू का आकार बड़ा था (10 करोड़ रुपये अथवा अधिक), द्वारा किए गए प्रतिभूतियों के सार्वजनिक इश्यू से जुड़े सनदी लेखाकारों के विरूद्ध उचित कार्रवाई करने की व्यवहार्यता की भी जाँच कर रहा है । मंत्रालय ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मैसर्स वेस्टर्न इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स कीव फाइनेंस लिमिटेड और मैसर्स विनि मेटास्पिन स्टीलस लिमिटेड के लेखा परीक्षकों के अभियोजन हेतु कंपनियों के पंजीयक को स्वीकृति दे दी है । तदनुसार, संबंधित आरओसी द्वारा पहले ही अभियोजन प्रारम्भ किए जा चुके हैं । मैसर्स विनि मेटास्पिन स्टीलस लिमिटेड के लेखा परीक्षक के विरूद्ध दायर मुकदमें को आर्थिक अपराधों हेतु माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा हैदराबाद में दिनांक 22.6.2006 के अपने आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था । संबंधित आरओसी को माननीय उच्च न्यायालय, आन्ध्र प्रदेश के समक्ष उक्त आदेश के विरूद्ध अपील दायर करने का निदेश दिया गया है ।

(xii) संबंधित कार्यबल सूची से हटाई गई लुप्त कंपनियों के कार्यकरण की काफी निकट से समीक्षा कर रहे हैं ताकि उन पर कड़ी निगरानी की जा सके जिससे वे फिर से धोखाधड़ी वाले क्रियाकलापों में शामिल न हों ।

(xiii) कार्यबल को सेबी द्वारा भेजी गई एक सूची और मिदास टच इन्वेस्टर एशोसिएशन नामक एक निवेशकों की संस्था द्वारा अग्रेषित की गई कंपनियों की एक अन्य सूची के अनुसार 1998-2001 के दौरान आईपीओ लाने वाली कंपनियों जाँच करने के अनुदेश दिए गए हैं ।

(xiv) इन कंपनियों और उनके प्रवर्तकों/निदेशकों के विरूद्ध कम्पनी अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्रवाई करने के अतिरिक्त मंत्रालय एक ई-शासन परियोजना भी क्रियान्वित कर रहा है जिसमें निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) प्रारम्भ करके निदेशकों की पहचान भी बनाई जा रही है ।

(xv) सेबी ने सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11/धारा 11बी के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लुप्त कंपनियों और उनके प्रवर्तकों/निदेश्कों के विरूद्ध आदेश जारी करते हुए उन्हें पूंजीबाजार के क्रियाकलापों से किसी भी तरह से उनके जुड़ने को प्रतिबंधित किया है । यह आदेश उन्हें प्रतिभूतियों के कारोबार और पूंजीबाजार में पहुंच हेतु 5 वर्षों की अवधि, जो कि सेबी विनियम के अंतर्गत अनुमेय के अनुसार अधिकतम है, के लिए भी प्रतिबंधित करता है । सेबी ने 100 कंपनियों तथा 378 निदेशकों को प्रतिबंधित किया है ।

जमा स्वीकार करना

3.5.1 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए जो 1.2.1975 से प्रभावी हुई, गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कम्पनियों द्वारा जमा लिए हेतु आमंत्रण तथा उसे स्वीकार किए जाने को नियंत्रित करती है । कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियमावली,1975 जिसे धारा 58ए की उप धारा (1) के अनुपालन में बनाया गया था, इन कंपनियों द्वारा जनता अथवा अपने सदस्यों से जमा आमंत्रित करने और अथवा स्वीकार करने की सीमाओं, तरीकों और शर्तों जिनके अधीन जमा लिए जाएंगे को निर्धारित करती है । इन नियमों में यह प्रावधान तथा अपेक्षित है कि प्रत्येक कम्पनी को जमा आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन देते समय तत्काल पूर्व के 2 वित्तीय वर्षों हेतु कंपनी की वित्तीय स्थिति का सार भी प्रकाशित करना होता है । ये नियम जमा को स्वीकार करने को शासित करने वाली निम्नलिखित शर्तों को भी निर्धारित करते हैं।

- कंपनी के निवल मूल्य के संदर्भ में जमा को स्वीकार करने की उच्चतम सीमाएं ।
- जमा को स्वीकार किए जाने 36 माह की अधिकतम अवधि ।
- दलाली की अधिकतम दर जो कंपनी द्वारा उन दलालों को दी जा सकती है जिनके माध्यम से जमा एकत्र किए गये हैं ।
- जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए वर्ष के दौरान पूरे होने वाले जमा के 15 प्रतिशत तक को तरल

प्रतिभूतियों में रखा जाना जिन्हें विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश किया जाना होता है ।

- जमा पर देय ब्याज की अधिकतम दर ।

3.5.2 धारा 58ए की उपधारा 7 के परन्तुक के अंतर्गत सरकार को कम्पनियों के किसी एक वर्ग को धारा 58ए के सभी अथवा कुछ प्रावधानों से छूट देने की शक्ति प्राप्त है । मंत्रालय ने गैर-बैंकिंग कम्पनियां (वाणिज्यिक कागजात के माध्यम से जमा स्वीकार करना) निदेश, 1989 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड को पूरा करने वाली कम्पनियों द्वारा वाणिज्यिक दस्तावेज जारी करके जमा स्वीकार करने के संबंध में धारा 58ए की उपधारा (1) से (6) के प्रावधानों हेतु दिनांक 29.12.1989 की अधिसूचना जीएसआर संख्या 1075ई के माध्यम से छूट प्रदान की है । उक्त अधिसूचना 1.1.1990 से प्रभावी हुई है ।

3.5.3 धारा 58ए की उप धारा(8) केन्द्र सरकार को, यदि वह आवश्यक समझे, तो किसी कठिनाई अथवा किसी अन्य उचित तथा पर्याप्त कारण हेतु कम्पनी (संशोधन) अधिनियम,1974 के प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व नहीं संदर्शी अथवा आगामी रूप में निर्धारित की गई शर्तों के अधीन किसी कम्पनी अथवा कम्पनियों के समूह को सामान्य तौर पर अथवा किसी एक विशिष्ट अवधि के लिए धारा 58ए के सभी अथवा किसी प्रावधान के अनुपालन हेतु समय का विस्तार दे सकती है अथवा इसमें छूट दे सकती है । कम्पनियों के किसी वर्ग को छूट दिए जाने के मामले में ऐसा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से किया जाना चाहिए।

3.5.4 धारा 58ए की उप धारा(9) तथा (10) कम्पनी विधि बोर्ड को जमा को निर्धारित समय और आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार भुगतान न किए जाने के किसी भी मामले का संज्ञान लेने के लिए प्राधिकृत करते हैं । कम्पनी विधि बोर्ड के आदेशों का अनुपालन न करने का दण्ड कैद भी हो सकता है जिसे 3 वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है और ऐसे अनुपालन न किए जाने तक प्रत्येक दिन हेतु 500 रुपये से कम नहीं का दण्ड भी लगेगा।

3.5.5 1.4.2006 से 31.12.2006 की अवधि के दौरान कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए (8) के अंतर्गत छूट/समय सीमा में विस्तार हेतु 7 आवेदन प्राप्त हुए थे जो पिछले वर्ष के 23 आवेदनों के अतिरिक्त थे । उक्त अवधि के दौरान कुल 30 आवेदनों में से 10 आवेदनों का निपटान किया गया और 20 आवेदन 31.12.2005 को विचार हेतु लम्बित थे ।

शेयरधारकों /उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा

3.6.1 शेयरधारकों को अधिक संरक्षण प्रदान के लिए कम्पनी अधिनियम में धारा 205क को समाविष्ट किया गया है जिसके द्वारा अदेय या दावे रहित लाभांश एक पृथक लेखा में कम्पनी द्वारा 3 वर्ष तक अलग रखा जाना हैं । इसके पश्चात भी यदि वे अदत्त या दावे रहते हैं तो उन्हें केन्द्रीय सरकार के खाते में अन्तरित कर दिया जाता है जिससे केन्द्रीय सरकार संबंधित शेयरधारकों को उनके द्वारा विधिवत रूप से आवेदन किए जाने पर आवश्यक भुगतान करती है ।

3.6.2 कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के हितों का यथासाध्य ध्यान रखा जाता है । एकमात्र विक्रय करारों, जो ऐसी कम्पनियों द्वारा किए गए हों जिनकी प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपये या अधिक हो, उनके लिए धारा 294कक के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होता है । इसका आशय यह सुनिश्चित करना है कि उन समझौतों के द्वारा उपभोक्ताओं को बेची गई वस्तुओं की कीमत को संबंधित कम्पनियों की ओर से परिहार्य अतिरिक्त व्यय के कारण बढ़ाया नहीं जाए ।

3.6.3 लागत लेखा अभिलेख नियम कम्पनी अधिनियम की धारा 209 (1)(घ) के अंतर्गत उत्पादन, प्रसंस्करण, विनिर्माण और खनन क्रियाओं में लगी हुई कम्पनियों के लिए विहित किए गए हैं । उनका आशय कम्पनियों में लागत के प्रति जागरूकता पैदा करना है ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि उनके द्वारा संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो जिससे कि उत्पादन लागत कम हो और परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को सस्ता माल मिल सके ।

3.6.4 कम्पनियों के पास धन जमा रखने के विषय में आम जनता के हितों की रक्षा के लिए कम्पनी अधिनियम में ध्यान में रखा गया है । कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा

58क के अंतर्गत मंत्रालय ने कम्पनी (जमा का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 बनाए हैं । इन नियमों के अंतर्गत यह अपेक्षा की गई है कि वे जमा आमंत्रित करते समय जनता की सूचना और मार्गदर्शन के लिए अपने गत वर्ष के वित्तीय लेखाओं को विज्ञापित और प्रकाशित करें । यदि कम्पनी ऐसी जमा राशि की शर्तों के अनुसार किसी जमा राशि या उसके किसी भाग की वापसी का भुगतान करने में असफल रहती है तो कंपनी विधि बोर्ड, यदि वह स्वयं संतुष्ट हो कि जमाकर्ता के हितों की सुरक्षा करने या लोकहित में यह अनिवार्य है, तो आदेश द्वारा कम्पनी को निर्देश दे सकता है कि इस प्रकार की जमाराशि या उसके किसी भाग का वापसी भुगतान शीघ्र कर दे या ऐसे समय के अंदर तथा ऐसी शर्तों के अधीन कर दे जिन्हें आदेश में ही निर्देशित किया गया हो।

कम्पनी विधि बोर्ड

3.7.1 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 10ङ के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा गठित कम्पनी विधि बोर्ड 31.5.1991 से एक स्वतंत्र अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है । कम्पनी विधि बोर्ड ने कम्पनी विधि बोर्ड विनियम, 1991 बनाए हैं जो इसके समुख आवेदन/याचिका दायर करने की प्रक्रियाविधि निर्धारित करते हैं । केन्द्र सरकार ने कम्पनी विधि बोर्ड में आवेदन/याचिकाएं दायर करने के लिए कम्पनी विधि बोर्ड (आवेदन तथा याचिका पर शुल्क) नियमावली, 1991 के अंतर्गत कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष आवेदन/ याचिका देने हेतु शुल्क निर्धारित किए है ।

3.7.2 बोर्ड की नई दिल्ली में प्रधान खंडपीठ तथा चेन्नई में अतिरिक्त प्रधान खंडपीठ हैं । मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई तथा नई दिल्ली में इसकी क्षेत्रीय खंड पीठ हैं । यह कम्पनी अधिनियम,1956 की 235,237बी, 247, 248, 250, 388बी, 408 तथा 409 धारा और कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग 6 के अध्याय 6 के अंतर्गत आने वाले मामले और एमआरटीपी अधिनियम की धारा 2ए के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में प्रधान खंडपीठ में की जाती है । दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 235 तथा 237 और अधिनियम के भाग 6 के अध्याय 6 के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई चेन्नई में अतिरिक्त प्रधान खंडपीठ में की जाती है । मामलों को लम्बित होने को कम किए जाने के लिए सितम्बर, 2002 से सभी प्रकार के मामलों को सुनने के लिए एकल सदस्यीय खंडपीठ को सभी प्रकार के मामलों को सुनने का कार्य सौंपा गया है ।

3.7.3 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 10ई, 17, 18, 19, 58ए, 58एए, 79/80ए, 111/111ए, 113/113(3), 117, 117बी, 117सी, 118, 141, 144, 163, 167, 186, 196, 219, 269, 284, 304, 307, 614 तथा 621ए और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45क्यूए के अंतर्गत प्राप्त होने वाली याचिकाओं/आवेदनों को क्षेत्रीय खंडपीठों के समक्ष रखा जाता है । किसी कम्पनी के कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा इस प्रकार पारित आदेशों में विहित निदेशों के अनुपालन में असफल होने के मामले में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 634ए के अंतर्गत आदेशों को लागू करवाने के लिए आवेदन दिया जा सकता है । 1.4.2006 से 31.12.2006 की अवधि के दौरान कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए(9) और आरबीआई अधिनियम,1934 की धारा 45क्यूए के अंतर्गत 1190 आवेदनों पर विचार किया गया था जिसमें से 157 को निपटाया जा चुका है । कम्पनी अधिनियम, 1956 की अन्य धाराओं के अंतर्गत 4766 याचिकाओं पर विचार किया गया था जिसमें से उक्त अवधि के दौरान 3623 याचिकाओं का निपटान किया गया। इसमें कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 621ए के अंतर्गत अर्थ दंड लगाए गए 614 मामले शामिल हैं ।

3.7.4 9 सदस्यों की स्वीकृत संख्या (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित) की तुलना में 31.12.2006 को कम्पनी विधि बोर्ड का संगठन निम्नानुसार है -

1. श्री एस.बालासुब्रमणियम, अध्यक्ष
2. श्री के.के. बालू, उपाध्यक्ष
3. श्री सी.डी.पाइक, सदस्य
4. श्रीमती विमला यादव, सदस्य

कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष याचिकाएं

3.8 वर्ष 2006-2007 हेतु कम्पनी विधि बोर्ड की प्रधान खंडपीठ सहित विभिन्न खंडपीठों द्वारा प्राप्त किए तथा निपटाए गए आवेदनों/याचिकाओं का विवरण तालिका 3.1 में दिया है ।

तालिका 3.1

वर्ष 1.4.2006 से 31.12.2006 तक की अवधि के दौरान प्राप्त, निपटान किए गए तथा लम्बित याचिकाओं/आवेदनों का समेकित विवरण

पीठ का संघटन व धारा	1.4.06 का आरंभिक शेष	प्राप्त	कुल (कालम 2 तथा 3)	निपटान	31.12.2006 को लम्बित
1	2	3	4	5	6
एक सदस्यीय पीठ					
1 धारा 17	75	538	613	539	74
धारा 18/19	2	17	19	18	1
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 45 क्यू	458	39	497	67	430
धारा 58ए (9)	586	107	693	90	603
धारा 58एए (i)	17	10	27	4	23
धारा 79	1	0	1	0	1
धारा 80ए	1	3	4	0	4
धारा 113/113(3)	15	44	59	47	12
धारा 117	0	0	0	0	0
धारा 117 सी	216	1	217	6	211
धारा 118	0	0	0	0	0
धारा 141	50	1629	1679	1640	39
धारा 144	0	0	0	0	0
विविध आवेदन	10	48	58	41	17
धारा 163	7	2	9	5	4
धारा 167	13	3	16	8	8
धारा 186	1	2	3	2	1
धारा 196	2	4	6	2	4
धारा 219	2	1	3	3	0
धारा 284	1	8	9	7	2
धारा 304	0	0	0	0	0
धारा 307	0	0	0	0	0
धारा 614	3	1	4	2	2
धारा 621क	146	624	770	614	156
धारा 634क	30	70	100	98	2
जोड़ (क)	**1636**	**3151**	**4787**	**3193**	**1594**
2 द्विसदस्यीय खंडपीठ					
धारा 111	128	91	219	99	120
धारा 269(7)	0	0	0	0	0
धारा 634 क	1	1	2	0	2
जोड़ (ख)	**129**	**92**	**221**	**99**	**122**
जोड़ (क)+ (ख)	**1765**	**3243**	**5008**	**3292**	**1716**
3 **प्रधान पीठ तथा अतिरिक्त प्रधान पीठ** - धारा 235, 237, 247, 250, 388बी, 397/398, 408, 409 के अंतर्गत मामले तथा वादकालीन आवेदन	418	530	948	488	460
सकल जोड़	**2,183**	**3773**	**5956**	**3780**	**2176**

01.04.2006 से 31.12.2006 की अवधि के दौरान कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा विचार की हल्ट तथा निपटान की गई याचिकाएं/आवेदन

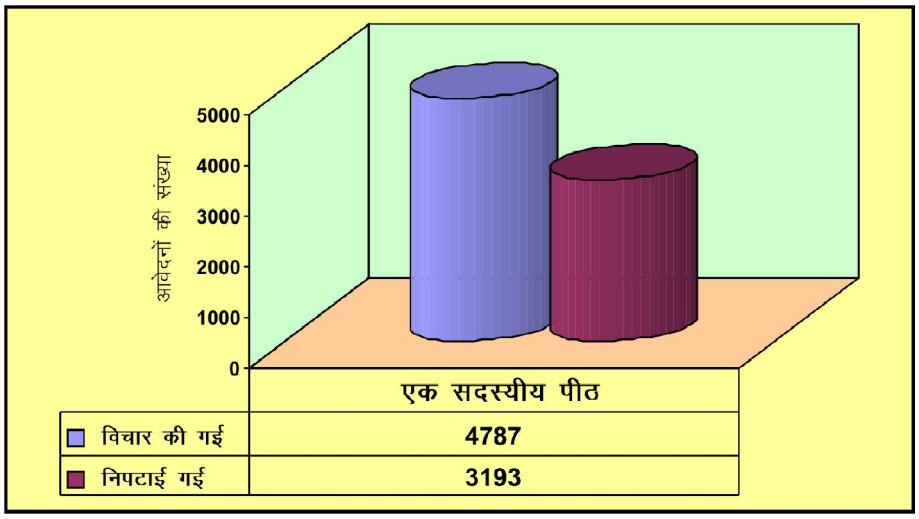

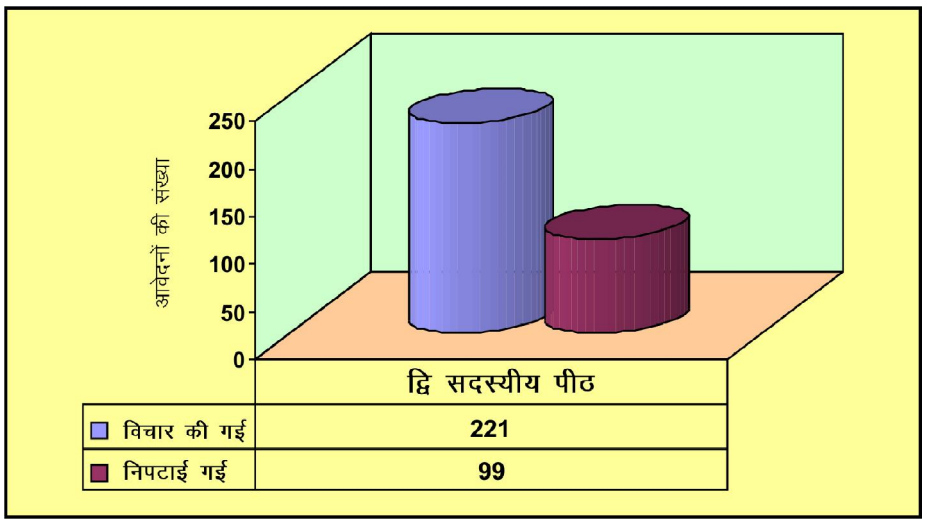

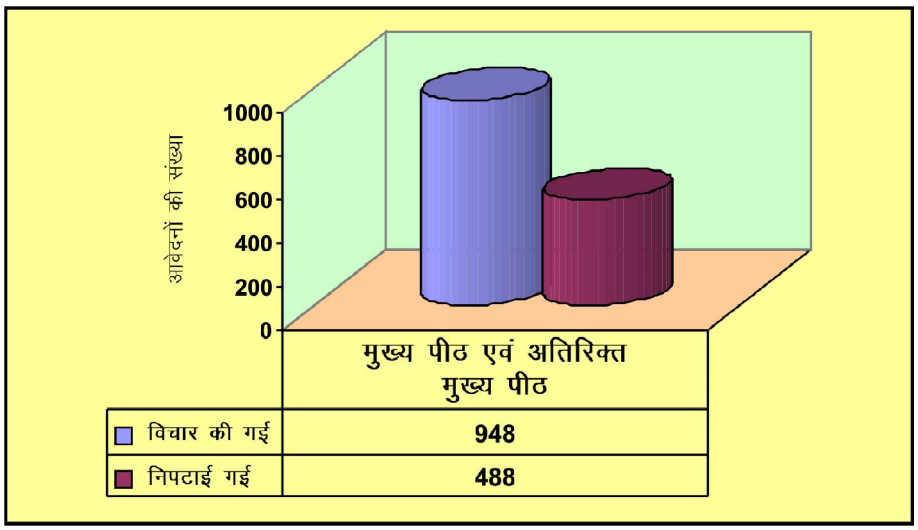

कम्पनी अधिनियम की धारा 408/402/406/ 388/237बी के अंतर्गत कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष याचिकाएं

3.9 कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 397/398 कम्पनी के कार्यों में शोषण, कुप्रबंधन अथवा कुप्रबंधन की आशंका के मामलों में राहत हेतु कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष आवेदन दायर करने का प्रावधान करती है । अधिनियम की धारा 408 केन्द्र सरकार को कम्पनी अथवा इसके शेयरधारकों अथवा आम जनता के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए संदर्भ/आवेदन पर कम्पनी विधि बोर्ड के निदेशानुसार कम्पनी के बोर्ड में बताए गए व्यक्तियों की संख्या को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत करती है । इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार अधिनियम की धारा 402 जिसे धारा 406 के साथ पढ़ा जाता है के अंतर्गत कंपनी के निदेशकों के विरूद्ध परिसंपत्तियों के वापस लेने के लिए याचिकाएं दायर कर सकती हैं जब वे अपयोजन/अपकरण में रत हों । 1.4.2006 से 31.12.2006 की अवधि के दौरान सरकार ने कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष कम्पनी अधिनियम की धारा 408 तथा 402 जिसे धारा 406 के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत 1 कम्पनी के संबंध में याचिका/आवेदन दायर किए हैं ।

कम्पनी अधिनियम की धारा 237 (बी) के अंतर्गत याचिकाएं

3.10.1 कम्पनी अधिनियम की धारा 237 (बी) के अनुसार केन्द्र सरकार किसी कंपनी मामलों की जांच हेतु आदेश लेने के लिए कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष याचिका दायर कर सकती है । 31.3.2006 को कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष 1 याचिका लंबित थी ।

3.10.2 1.4.2006 से 31.12.2006 की अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 2 मामले निपटाए गए हैं जबकि अभी भी अधिनियम की धारा 397/398 आर/ डब्ल्यू 406/408 तथा 237(बी) के अंतर्गत 6 मामले लंबित हैं । मैसर्स उषा इंडिया बनाम भारत सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है और मामला अभी भी माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है ।

प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति

3.11.1 कंपनी कार्य मंत्रालय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों तथा निजी लिमिटेड कंपनियां, जो सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की अनुषंगिया हैं, के प्रबंध निदेशकों, पूर्णकालिक निदेशकों तथा प्रबंधकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में सावंधिक आवेदनों पर कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 269, 198/309, 310 तथा 388 के अंतर्गत उक्त अधिनियम की अनुसूची 13 के, समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधानों, अनुसार निर्णय लेता है।

3.11.2 विभिन्न सांविधिक आवेदनों पर कार्यवाही करने में वृहतर पारदर्शिता लाने के लिए इन आवेदनों की स्थिति रिपोर्ट पहले से ही कम्पनी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा चुकी है जिसे आवेदक कम्पनियों द्वारा सराहा गया है । इसके अतिरिक्त, मामलों के शीघ्र निपटान और ई-शासन के एक युग को प्रारम्भ करने के लिए विहित आवेदन फार्म को संशोधित तथा सरलीकृत किया जा रहा है।

3.11.3 यह पाया गया है कि प्राप्त आवेदन सामान्यतः कई दृष्टि से अपूर्ण होते हैं । प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए फार्म सं.25ए तथा 26 को संशोधित किया गया है और इन्हें एमसीए-21 परियोजना के क्रियान्वयन के साथ प्रभावी किया जाना प्रस्तावित है। 1.4.2006 से 31.12.2006 की अवधि के लिए सांविधिक आवेदनों की प्राप्ति तथा निपटान के ब्यौरे नीचे तालिका 3.2 में दिए गए हैं -

तालिका - 3.2

1.4.2006 से 31.12.2006 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रबंधकीय नियुक्ति हेतु प्राप्त तथा निपटाए गए आवेदन

कम्पनी अधिनियम की धारा	आवेदन की प्रकृति	1.4.2006 को लंबित	1.4.2006 से 31.12.2006 के दौरान प्राप्त	योग	1.4.2006 से 31.12.2006 के दौरान निपटाए गए	31.12.2006 को लम्बित
259	निदेशकों की संख्या में वृद्धि	8	10	18	8	10
268	प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशकों से संबंधित संगम अनुच्छेद के प्रावधानों में संशोधन	8	12	20	12	8
269/ अनुसूची 13	प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशकों/ प्रबंधकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति	184	311	495	304	191
309(1बी)	व्यावसायिक सेवायें प्रदान करने के लिए निदेशकों का पारिश्रमिक	10	29	39	29	10
309(4) (5बी)	पूर्णकालिक नियुक्ति के अंतर्गत प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त निदेशकों को पारिश्रमिक / निदेशकों को वापिस दी जाने वाली राशि को छोड़ देना	10	9	19	10	9
310	निदेशकों के पारिश्रमिक में वृद्धि	35	113	148	109	39
314(1बी)	निदेशक या उसके संबंधी का कंपनी के किसी कार्यालय के लाभ वाले पद पर नियुक्ति/बने रहना जिसका मासिक पारिश्रमिक प्रतिमाह 50,000 रुपये से कम न हो	27	68	95	59	36
कुल		**282**	**552**	**834**	**531**	**303**

जाँच

3.12.1 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 235/237 के अंतर्गत किसी कम्पनी के मामलों में जाँच करने के आदेश एसएफआईओ के निरीक्षकों को निम्नलिखित आधार पर दिए जाते हैं -

i) जहाँ तथाकथित धोखाधड़ी का आकार कम से कम 50 करोड़ रुपये अथवा अधिक होने का अनुमान है, अथवा;

ii) ऐसी कंपनियों जो सूचीबद्ध हैं अथवा जहाँ कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ रुपये से अधिक है और 20 प्रतिशत अथवा अधिक पूंजी जनता द्वारा अभिदत्त है; अथवा

iii) जब तथाकथित धोखाधड़ी में व्यापक जनहित शामिल हो और जिसमें कम से कम 5000 से अधिक व्यक्तियों के प्रभावित होने का अनुमान लगाया गया हो; अथवा

iv) जहाँ जाँच में विशेष कौशल तथा बहुशाखीय पद्धति की आवश्यकता हो ।

3.12.2 कम्पनी कार्य मंत्रालय ने सरकार को गम्भीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय(एसएफआईओ) से संबंधित मुद्दों पर परामर्श देने के लिए दिनांक 23 फरवरी, 2006 के कार्यालय आदेश संख्या 2/1/2004-सीएल-5 के माध्यम से एक विशेषज्ञ समिति गठित की है । श्री वेपा कामेसम की अध्यक्षता में गठित तथा 6 अन्य सदस्यों वाली यह विशेषज्ञ समिति सरकार को निम्नलिखित पर अपनी सिफारिशें देगी-

(क) एसएफआईओ के संगठन तथा कार्यकरण को एक अलग दर्जा दिए जाने को शासित करने के लिए आंकलन की आवश्यकता तथा ब्यौरे;

(ख) एसएफआईओ द्वारा पता लगाए गए अपराधों के अभियोजन सहित इसके प्रभावी कार्यकरण को समर्थ बनाने के लिए विद्यमान कानूनों में आवश्यक विधायी परिवर्तनों की प्रकृति तथा ब्यौरे;

(ग) एसएफआईओ को मामलें संदर्भित करने हेतु तंत्र और जाँच एजेंसियों सहित केन्द्र तथा राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों/संगठनों के साथ एसएफआईओ के क्रियाकलापों का समन्वयन;

(घ) एसएफआईओ तथा इसके जाँच अधिकारियों की शक्तियां;

(ङ) जाँच एजेंसियों के प्रभावी आचरण को समर्थ बनाने के लिए अपराध तथा दण्ड की विशेष पहचान और निगमित धोखाधड़ी मामलों की सुनवाई हेतु विशेष अदालतों की आवश्यकता; और

(च) उक्त के परिणाम स्वरूप अथवा अनुपालन पर अन्य मामले ।

3.12.3 विशेषज्ञ समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की अवधि को फरवरी, 2007 तक बढ़ा दिया गया है ।

3.12.4 वर्तमान वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 235/237 के अंतर्गत जॉच हेतु 3 मामले एसएफआईओ को तथा एक मामला क्षेत्रीय निदेशक, चेन्नई को दिया गया है । वर्तमान वर्ष के दौरान के.पी. समूह की 16 जाँच रिपोर्ट सहित 18 जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं । जिसमें से 12 जाँच रिपोर्ट पर कार्यवाही कर ली गई है और 6 पर कार्यवाही की जा रही है । जाँच हेतु केवल 4 मामले लम्बित हैं ।

निरीक्षण

3.13.1 कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 209ए कम्पनियों के पंजीयक अथवा केन्द्र सरकार के विधिवत प्राधिकृत अधिकारियों को कंपनी की लेखा बहियों और अन्य रिकार्डों की जाँच करने के लिए प्राधिकृत करती है । इस मंत्रालय के कई अधिकारियों को समय-समय पर निरीक्षणों को करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

3.13.2 मोटे तौर पर निरीक्षण निम्नलिखित उद्देश्यों में से एक या अधिक को पूर्ण करने के लिए किए जाते हैं -

(i) कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम,1956 के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन की जांच करना;

(ii) यह जाँच करना कि क्या कम्पनी के लेखे कम्पनी के वित्त की सत्य तथा सही स्थिति दर्शाते हैं और क्या उसे कम्पनी अधिनियम की संगत विधि से प्रकट किया गया है;

(iii) क्या कम्पनी की निधियों को किसी ऐसे प्रकार से नियोजित अथवा कहीं और लगाया गया है जोकि अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में हो और क्या कम्पनी प्रबंधन ने अपनी न्यासीय स्थिति का दुरूपयोग अधिनियम के उल्लंघन में अपने किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए किया है;

(iv) क्या कुप्रबंधन अथवा शोषण के कोई ऐसे कृत्य हैं जो कम्पनी के हितबद्धों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं अथवा जो ऐसे हितों के विपरीत हो सकते हैं कि जिससे कम्पनी को अधिनियम के अंतर्गत उचित तथा साम्य आधार पर समाप्त किया जाना पड़े;

(v) क्या सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कम्पनी की स्थिति का सत्य तथा सही चित्रण प्रमाणित करते हुए अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन उचित रूप से किया;

(vi) यदि कम्पनी द्वारा पिछले 5 वर्षों में पंजीयक के साथ अपने तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे अथवा वार्षिक रिटर्न को दर्ज करने में कोई चूक हुई है तो कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत की जा सकने वाली कानूनी कार्रवाई की जाँच करना।

3.13.3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209ए के अंतर्गत कम्पनी की लेखा बहियों की जाँच का आदेश सामान्यतः निम्नलिखित आधार पर दिया जाता है -

(i) मंत्रालय अथवा इसके क्षेत्र कार्यालयों में अधिनियम की धारा 209 के अंतर्गत यथाविहित लेखा बहियों के अनुरक्षण के संबंध में कुप्रबंधन, शेयर/ऋण-पत्र के अंतरण में विलंब, लाभांश के भुगतान में विलंब, जमा अथवा उसके ब्याज का भुगतान न करना आदि से संबंधित प्राप्त शिकायतें ।

(ii) कम्पनियों के पंजीयक के कार्यालय में दर्ज लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों सहित दस्तावेजों की जाँच पर सामने आए उल्ल्घन/अनियमितताएं ।

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन में इंगित अन्य सरकारी विभाग /एजेंसियों से प्राप्त संदर्भ अथवा अन्य अनियमितताएं ।

तालिका संख्या 3.3

कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षणों की संख्या निम्नानुसार है -

वर्ष	निरीक्षण की संख्या
2003-2004	109
2004-2005	197
2005 2006	221
1.4.2006 - 31.12.2006	135

विगत चार वित्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित निरीक्षणें की संख्या

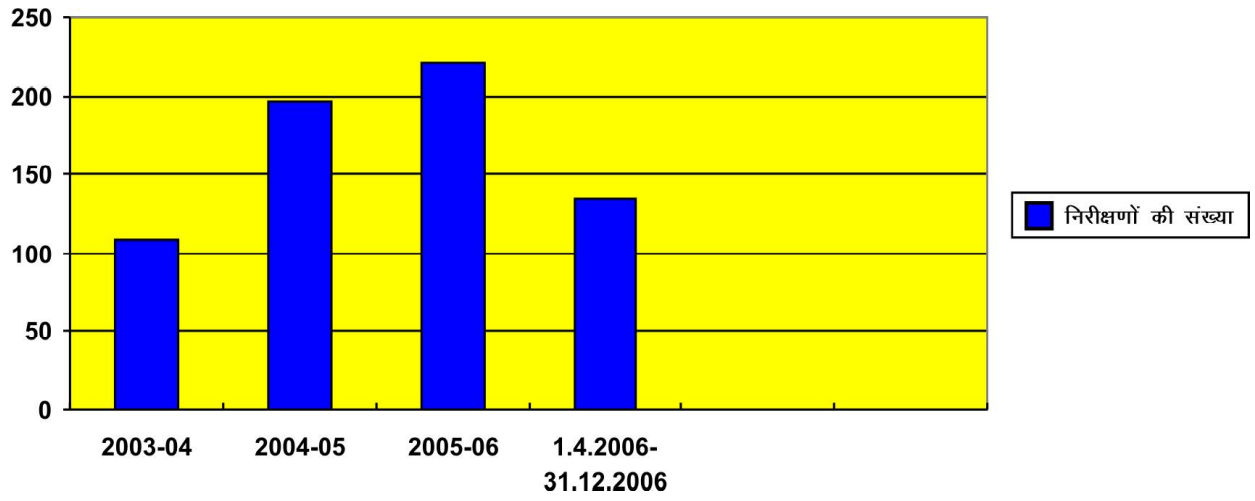

शेयर बाजार घोटाले पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट का अनुवर्तन

3.14 सरकार ने शेयर बाजार घोटाले की जाँच करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित की थी । जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 2002 में प्रस्तुत की। कम्पनी कार्य मंत्रालय को अपने मंत्रालय से संबंधित जेपीसी की कुछ सिफारिशों पर कृत्त कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था । कम्पनी कार्य मंत्रालय से संबंधित मदों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट को आर्थिक मामले विभाग ने जेपीसी एकक को नियमित रूप से अग्रेषित किया जाता है जो समय-समय पर जेपीसी रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई का प्रबोधन कर रहे हैं ।

अभियोजन

3.15 1.4.2006 से 31.12.2006 तक की अवधि के दौरान कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पिछले वर्ष से लाए गए 45705 अभियोजन सहित कुल 50874 अभियोजन प्रारम्भ किए गए तथा विभिन्न न्यायालयों में उनका अनुवर्तन किया गया था । इसमें से 6984 अभियोजनों को निपटा दिया गया था और शेष 43890 अभियोजन 31.12.2006 को लम्बित हैं ।

लागत लेखा-परीक्षा

3.16.1 कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 642 की उपधारा (1) जिसे धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पढ़ा जाता है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने समय-समय पर विभिन्न उद्योगों के संबंध में लागत लेखांकन रिकार्ड नियमावली अधिसूचित की है जिसके अंतर्गत इस नियमावली के अंतर्गत कवर की गई प्रत्येक कम्पनी को इन नियमों के प्रकाशन अथवा उसके पश्चात की तिथि के वित्तीय वर्ष से लागत लेखांकन रिकार्ड रखने होते हैं ।

3.16.2 लागत लेखांकन रिकार्ड नियमावली (सीएआरआर) उस तरीके को विहित करती है जिसमें लागत रिकार्डों को रखा जाना है ताकि लागत लेखा आधार का उपयोग उद्योग द्वारा अपने कार्यनिष्पादन में सुधार और प्रतिस्पर्धी वातावरण से सामना करने, और विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे कि राजस्व प्राधिकारी, नियामक निकाय तथा अन्य संस्थानों द्वारा अपने संबंधित उदेश्यों की प्राप्ति के लिए किया जा सके । अभी तक 44 उद्योगों के संबंध में लागत लेखांकन रिकार्ड नियमावली अधिसूचित की जा चुकी है जिसे तालिका 3.4 में दर्शाया गया है ।

3.16.3 मंत्रालय ने पानी के जहाज तथा वायुयान के निर्माण से संबंधित क्रियाकलापों पर लागत लेखांकन रिकार्ड नियमावली को रक्षा मंत्रालय तथा पीएसयू के साथ परामर्श से तैयार करने के लिए एक प्रक्रिया प्रारम्भ की है ।

3.16.4 विद्यमान लागत लेखांकन रिकार्ड नियमावली को सरल/युक्ति-युक्त बनाने और उन्हें विनिर्माण प्रक्रिया में होने वाले सम्भावित तकनीकी परिवर्तनों के साथ जोड़ने और लेखांकन पद्धतियों तथा नीतियों में वैचारिक परिवर्तन लाने के लिए विद्यमान नियमों की समय-समय पर आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और आवश्यक संशोधनों को तदनुसार अधिसूचित किया जाता है । वर्ष 2006-07 के दौरान 27 जून, 2006 की जीएसआर संख्या387(ई) के माध्यम से लागत लेखांकन रिकार्ड (विद्युत उद्योग) नियमावली, 2001 संशोधित तथा प्रकाशित की गई है । राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के साथ परामर्श से बल्क दवाओं तथा फार्मूलेशन के संबंध में विद्यमान लागत लेखांकन रिकार्ड नियमावली की समीक्षा तथा संशोधन हेतु क्रिया प्रारम्भ की गई है ।

3.16.5 अधीनस्थ विधान पर समिति (14वीं लोकसभा) द्वारा 2 दिसम्बर, 2004 को लोकसभा को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में संबंधित मंत्रालयों तथा नियामक के साथ परामर्श से लागत लेखांकन रिकार्ड नियमावली के संबंध में नीतिगत दिशा-निर्देश बनाने की सिफारिश के अनुपालन में कम्पनी कार्य मंत्रालय ने लागत लेखांकन रिकार्ड नियमावली तथा लागत लेखा परीक्षा पर नीतिगत दिशा-निर्देश बना लिए हैं ।

3.16.6 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233बी (1) के अंतर्गत पात्र कंपनियों को समय-समय पर उनके लागत रिकार्डों की किसी प्रैक्टिस कर रहे लागत लेखाकार से लेखा परीक्षा करवाए जाने के लिए लागत लेखा परीक्षा आदेश जारी किए जाते हैं । चाय बोर्ड की सिफारिशों पर सीएआरआर (पौधा उत्पाद) की अधिसूचना के पश्चात पहली बार 38 चाय तथा 3 कॉफी कंपनियों पर लागत लेखा परीक्षा आदेश जारी किए गए हैं । दिल्ली विद्युत नियामक आयोग की सिफारिश पर दिल्ली आधारित 3 विद्युत कंपनियों और राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की सिफारिशों के अनुसार 3 दवा कम्पनियों और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बंगलोर की सिफारिश के आधार पर 2 इलैक्ट्रोनिक उत्पाद विनिर्माण कम्पनियों को लागत लेखा परीक्षा आदेश जारी किए गए हैं ।

3.16.7 ई-शासन के अंतर्गत एमसीए 21 कार्यक्रम को प्रारम्भ किए जाने के परिणामस्वरूप लागत लेखा परीक्षा के अंतर्गत कंपनियों ने सितम्बर, 2006 के मध्य से इलैक्ट्रानिक तरीके द्वारा आवेदन तथा लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों को दाखिल करना प्रारम्भ कर दिया है । कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233बी(2) के अनुपालन में 1.4.2006 से 31.12.2006 के दौरान लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के अनुमोदन और लागत लेखा परीक्षा से छूट हेतु 1457 आवेदन प्राप्त हुए हैं जबकि पिछले वर्ष समान अवधि के दौरान 1207 आवेदन प्राप्त हुए थे । जो कि समान अवधि के दौरान 1380 आवेदन और सम्पूर्ण 2004-05 वर्ष के दौरान 1619 आवेदन थे । इन आवेदनों पर एकत्रित किए गए शुल्क की कुल राशि 1.4.2006 से 31.12.2006 के दौरान 26.63 लाख रुपए थी जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 22.49 लाख रुपए की राशि एकत्र की गई थी । और सम्पूर्ण 2004-05 वर्ष के दौरान एकत्रित किया गया शुल्क 27.55 लाख रुपये था ।

3.16.8 1.4.2006 से 31.12.2006 के दौरान प्राप्त लागत लेखा परीक्षा रिर्पोटो की संख्या 1521 थी जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 1025 थी ।

तालिका 3.4

उद्योग जिनके लिए कंपनी अधिनियम की धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत लागत लेखा रिकार्ड नियम अधिसूचित किए गए

क्रम सं.	उघोग का नाम	क्रम सं.	उघोग का नाम
1.	एल्यूमीनियम	13.	इलेक्ट्रिक उद्योग
2.	ड्राइ सेल बैट्री के अतिरिक्त अन्य बैटरियां	14.	इलेक्ट्रिक लैम्प
3.	बेयरिंग	15.	इलेक्ट्रिक मोटर्स
4.	बल्क औषध	16.	इलैक्ट्रोनिक उत्पाद
5.	सीमेंट	17.	इंजीनियरिंग उद्योग
6.	रसायन	18.	उर्वरक
7.	सौन्दर्य प्रसाधन	19.	फुटवियर
8.	साईकिल	20.	फार्मूलेशन
9.	ड्राई सेल बैट्रीज	21.	औद्योगिक एल्कोहल
10.	डाईज	22.	औद्योगिक गैसें
11.	इलैक्ट्रिक केबल्स एवं कनडक्टर्स	23.	कीट नाशक
12.	बिजली के पंखे	24.	जूट की वस्तुएं

क्रम सं.	उघोग का नाम	क्रम सं.	उघोग का नाम
25.	दुग्ध आहार	35.	कक्ष एयरकंडीशनर
26.	खनन एवं धातु शोधन	36.	शेविंग सिस्टम
27.	मोटर वाहन	37.	साबुन और डिटर्जेंट
28.	नाइलोन	38.	इस्पात प्लांटस
29.	कागज	39.	इस्पात टयूब्स एण्ड पाइप्स
30.	पेट्रोलियम उद्योग	40.	चीनी
31.	प्लांटेशन उत्पाद	41.	संचार
32.	पौलिस्टर	42.	वस्त्र
33.	रेयान	43.	टायर तथा टयूब
34.	रेफ्रीजिरेटर्स	44.	वनस्पति

धारा 108ए के अंतर्गत आवेदन

3.17 इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति, फर्म, समूह, समूह के घटक, निगमित निकाय अथवा प्रभुत्व वाले उपक्रम के संबंध में समान प्रबंधन के अधीन निगमित निकाय द्वारा अथवा को शेयरों के प्राप्त करने/अन्तरण हेतु केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है बशर्ते कि शेयरों के ऐसे प्राप्त किए जाने अथवा अन्तरण के परिणामस्वरूप प्रभुत्व में कोई वृद्धि होती है । 1.4.2006 से 31.12.2006 की अवधि के दौरान उक्त धारा के अंतर्गत केन्द्र सरकार को एक आवेदन प्राप्त हुआ था तथा उसका निपटान कर दिया गया था, और पिछले वर्ष से कोई आवेदन नहीं लाया गया था ।

लाभांश की घोषणा

3.18.1 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ए(3) किसी भी कम्पनी को बाध्य करती है कि किस वर्ष में अपर्याप्त लाभ अथवा लाभ नहीं होने की दशा में यदि वह कम्पनी अपने पूर्व वर्षों में उपार्जित संचित लाभ में से जो उसने रिजर्व में अन्तरित कर दिया था लाभांश की घोषणा नियमों अर्थात कम्पनी (आरक्षित धन से लाभांश की घोषणा) नियम, 1975 के अनुसार नहीं है तो इसमें केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना होगा ।

3.18.2 1.4.2006 से 31.12.2006 तक इस धारा के अंतर्गत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था जबकि पिछले वर्ष से भी कोई आवेदन नहीं लाया गया था। इसलिए 31.12.2006 को कोई आवेदन लम्बित नहीं है ।

लाभांश का भुगतान

3.19 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205(1)(ग) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो, किसी कम्पनी को मूल्यह्रास का प्रावधान किए बिना लाभांश घोषित करने की मंजूरी देने की शक्तियां प्राप्त हैं । अप्रैल, 2006 से दिसम्बर 2006 की अवधि के दौरान 3 आवेदन प्राप्त हुए थे । 31 दिसम्बर, 2006 को तीनों आवेदन लंबित पड़े हैं ।

अनुषंगियों के लेखा

3.20.1 कंपनी अधिनियम की धारा 212 यह प्रावधान करती है कि धारक कम्पनी के तुलन-पत्र में इसकी अनुषंगियों के कुछ दस्तावेज भी शामिल होने चाहिए। तथापि, तत्संबंधी उपधारा(8) केन्द्र सरकार को किसी धारक कम्पनी को अनुषंगी कम्पनी के उक्त ब्यौरों को तुलन-पत्र में शामिल किए जाने की आवश्यकता से छूट देने का अधिकार देती है।

3.20.2 इस अवधि के दौरान 210 आवेदन प्राप्त हुए और पिछले वर्ष से 63 आवेदन लाए गए थे । कुल 273 आवेदनों में से 256 आवेदनों का निपटान कर दिया गया और 17 आवेदन 31 दिसम्बर, 2006 को विचार के विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं ।

एक मात्र विक्रेता एजेंट की नियुक्ति

3.21.1 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 294एए(1) में यह अपेक्षित है कि केन्द्र सरकार का जहॉ यह मत हो कि किसी श्रेणी की वस्तुओं की मांग ऐसे वस्तुओं के उत्पादन अथवा आपूर्ति से काफी अधिक है और जहाँ ऐसी वस्तुओं हेतु बाजार बनाने के लिए एकमात्र विक्रेता एजेंटों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी, केन्द्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि घोषणा में निर्दिष्ट की गई अवधि के लिए ऐसी वस्तुओं की बिक्री हेतु किसी कम्पनी द्वारा एकमात्र विक्रेता एजेंट नियुक्त नहीं किए जाएंगे । वर्तमान में एकमात्र बिक्रेता एजेंट की नियुक्ति का प्रतिबंध केवल "बल्क दवाएं, दवाएं तथा फार्मूलेशन्स " के संबंध में है जिसे दिनांक 23.2.2004 की अधिसूचना संख्या जीएसआर130(ई) के माध्यम से 23.2.2004 से और 3 वर्षों की अवधि हेतु बढ़ा दिया गया है ।

3.21.2 कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 294एए की उपधारा (2) तथा (3) में कम्पनियों द्वारा एकमात्र विक्रेता/ क्रेता एजेंटों की नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है । उप धारा(2) उन कंपनियों पर लागू होती है जिनमें एकमात्र विक्रेता/क्रेता एजेंट स्वयं के माध्यम से अथवा अपने संबंधियों के माध्यम से 5 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी अथवा कम्पनी की प्रदत्त पूंजी का 5 प्रतिशत, जो भी कम हो, धारित करते हैं । उप धारा (3) उन कंपनियों पर लागू होती है जिनकी प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपये अथवा इससे अधिक है ।

3.21.3 संदर्भाधीन अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 294एए की उप धारा (2) तथा (3) के अंतर्गत 4 आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि 9 आवेदन पिछले वर्ष के थे । कुल 13 आवेदनों में से 8 आवेदनों का निपटान किया जा चुका है और 5 आवेदन 31.12.2006 को विचार के विभिन्न चरणों पर लंबित हैं ।

निदेशकों तथा संबंधियों को ऋण

3.22.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 295 में यह अपेक्षित है कि सभी सार्वजनिक कंपनियां अथवा उनकी अनुषंगियां किसी ऋण को देने, अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए ऋण के संबंध में कोई गारंटी देने अथवा कोई सुरक्षा मुहैया कराने, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उनके निदेशकों, निदेशकों के संबंधियों, फर्म अथवा निजी कंपनियों जिसमें ऐसे निदेशक समान हों अथवा हितबद्ध हों और उक्त धारा की उप धारा (1) के खंड (घ)तथा (ङ) की परिधि में आने वाले अन्य निगमित निकाय को ऋण देने से पूर्व केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होता है ।

3.22.2 1.4.2006 से 31.12.2006 की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार को इस धारा के अंतर्गत 22 आवेदन प्राप्त हुए और 27 आवेदन पिछले वर्ष से लाए गए थे । इन 49 आवेदनों में से 31 आवेदनों का निपटान कर दिया गया था और 31 दिसम्बर, 2006 को शेष 18 आवेदन लम्बित हैं ।

कम्पनियों का समामेलन

3.23 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391-394 तथा 396 के अंतर्गत पिछले वर्ष के 8 मामलों को लाया गया था । इन 8 मामलों में से 6 मामलों का निपटान कर दिया गया और 31.12.2006 को 2 मामले लंबित थे ।

कम्पनियों को निधि के रूप में घोषित करने की शक्ति

3.24.1 कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 620 क के अंतर्गत केन्द्र सरकार कुछ विशेष प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के

द्वारा निधि कंपनियां अथवा परस्पर लाभ समितियां, जैसा भी मामला हो, घोषित करने के लिए प्राधिकृत है और वह यह भी निदेश दे सकती है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के कुछ प्रावधान उक्त निधियों पर लागू नहीं होगे और /अथवा, जैसा भी मामला हो, कुछ अपवादों, संशोधन तथा अनुकूलन के साथ लागू होंगे । 1.4.2006 से 31.12.2006 की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार ने दिनांक 8.9.2006 की अधिसूचना जीएसआर 546(ई) के माध्यम से 34 कंपनियों को निधि कम्पनी घोषित किया, जिससे निधि कम्पनियों के रूप में अधिसूचित कम्पनियों की कुल संख्या 291 हो गई है ।

3.24.2 उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620ए के अंतर्गत 110 आवेदन प्राप्त हुए और 84 मामले पिछले वर्ष के शेष थे । इन 194 आवेदनों में से 31.12.2006 को 91 आवेदन निपटा दिए गए थे और 103 आवेदन विचार के विभिन्न चरणों पर लंबित थे ।

3.24.3 सरकार ने निधियों के सुचारू कार्यकरण और वृद्धि को सुनिश्चित करने और उनके जमाकर्ताओं को उच्चतम डिग्री की सुरक्षा मुहैया कराने के उददेश्य से निधियों हेतु विद्यमान नियामक ढांचे की समीक्षा करने के लिए श्री ए.आर.राव की अध्यक्षता में दिनांक 3.6.2005 के आदेश संख्या 4/6/204-सीएल 6 के द्वारा एक विशेषज्ञ दल गठित किया था । इस दल ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 2005 के प्रथम सप्ताह में दी थी और दल की सिफारिशों को 31.3.2006 की अधिसूचना संख्या जीएसआर-202(ई) तथा जीएसआर-203(ई) और दिनांक 31.8.2006 की अधिसूचना संख्या जीएसआर-517(ई) के माध्यम से अधिसूचित किया गया है ।

धारा 297 (1) के अंतर्गत संविदाएं प्रदान करने हेतु अनुमोदन की स्वीकृति

3.25.1 कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथा संशोधित 1 फरवरी, 1975 से प्रभावी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 297(1) 1 करोड़ से अधिक प्रदत्त शेयर पूंजी वाली कम्पनियों हेतु यह आवश्यक बनाती है कि उनके लिए (क) वस्तुओं/सामग्री की बिक्री, क्रय अथवा आपूर्ति या सेवा अथवा वस्तु, सामग्री या सेवा की आपूर्ति अथवा (ख) कम्पनी के किसी निदेशक अथवा उसके संबंधी, ऐसी कोई फर्म जिसमें कोई निदेशक अथवा उसका सम्बंधी भागीदार है, ऐसी कोई फर्म अथवा प्राइवेट कम्पनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य अथवा निदेशक है के शेयर अथवा ऋण पत्रों के अभिदत्त को कम आंकने, इसके संबंध में की जाने वाली किसी भी संविदा के संबंध में केन्द्र सरकार का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है । कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 297(1) के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति को 19.8.1993 से क्षेत्रीय निदेशकों को प्रत्यायोजित किया गया है । ऐसा विकेन्द्रीयकरण तथा शीघ्र निपटान के दोहरे प्रयोजन की पूर्ति हेतु किया गया है ।

3.25.2 1.4.2006 से 31.12.2006 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय निदेशकों ने पिछले वर्ष से लाए गए 555 आवेदनों सहित कुल 1293 आवेदनों पर विचार किया । इनमें से 1002 आवेदनों का निपटान कर दिया गया और शेष 291 आवेदन 31.12.2006 को क्षेत्रीय निदेशकों के पास लम्बित हैं ।

क्षेत्रीय निदेशकों तथा कम्पनी रजिस्ट्रारों के द्वारा विचार किए गए तथा निपटाए गए आवेदन

3.26 कम्पनी अधिनियम, 1956 की कुछ धाराओं के संबंध में केन्द्र सरकार की शक्तियां तथा कार्य कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई तथा नोएडा (उत्तर प्रदेश) स्थित क्षेत्रीय निदेशकों और कम्पनियों के रजिस्ट्रारों को प्रत्यायोजित किए गए हैं । नीचे दी गई तालिका 3.5 प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत क्षेत्रीय निदेशकों/कम्पनी के रजिस्ट्रारों द्वारा निपटाए गए आवेदनों को दर्शाती है ।

तालिका 3.5

अप्रैल 2006 से दिसम्बर 2006 की अवधि के दौरान कम्पनी अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत क्षेत्रीय निदेशकों तथा कम्पनियों के रजिस्ट्रारों द्वारा विचार किए गए तथा निपटाए गए आवेदन

क्रम सं.	कम्पनी अधिनियम की धारा और आवेदन की विषय-वस्तु	वर्ष के दौरान विचार किए गए	वर्ष के दौरान निपटान किए गए	31.12.2006 को लम्बित
1	2	3	4	5
1.	21 - कम्पनी के नाम में परिवर्तन	5180	4793	387
2.	22 - कम्पनी के नाम में सुधार	99	37	62
3.	25 - लाइसेंस प्रदान किया जाना	216	125	91
4.	25(8) - समझौता ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद में परिवर्तन	92	50	42
5.	31 - विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अनुच्छेदों में परिवर्तन	2227	2115	112
6.	224(3) तथा (7) - लेखा परीक्षकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक	38	13	25
7.	धारा 394ए - क्षेत्रीय निदेशक द्वारा कम्पनियों (सार्वजनिक/निजी कम्पनियां) का समामेलन	890	670	220
8.	557(7)(बी) - कम्पनी परिसमापन लेखे	611	118	493
9.	560 - आरओसी द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में से कम्पनियों का नाम काटना	12334	7837	4497
	कुल	**21687**	**15758**	**5929**

कम्पनियों का परिसमापन (अधिकारिक परिसमापक द्वारा प्राप्त आवेदन)

3.27 31.3.2006 को 6444 कम्पनियां परिसमापन के अधीन थी और 1.4.2006 से 31.12.2006 तक 237 कम्पनियों को परिसमापन के अंतर्गत लिया गया था । अंततः समाप्त हाने वाली 81 कम्पनियों को ध्यान में रखते हुए 31.12.2006 को परिसमापन के अंतर्गत कम्पनियों की कुल संख्या 6600 थी । 1.4.2006 से 31.12.2006 के दौरान परिसमापन के अंतर्गत कम्पनियों का उनके बंद किए जाने के तरीके के अनुंसार वितरण तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.6

1.4.2006 से 31.12.2006 के दौरान परिसमापन के अंतर्गत कम्पनियों का उनके बंद किए जाने के तरीके के अनुंसार वितरण

क्रम सं.	विषय	31.3.06 को लंबित	1.4.06 से 31.12.06 की अवधि के दौरान प्राप्त	कुल (कॉलम 3+4)	1.4.06 से 31.12.06 की अवधि के दौरान निपटाई गई	31.12.06 को लंबित
1	2	3	4	5	6	7
1.	स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने वाले सदस्य	1268	52	1320	04	1316
2.	स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने वाले ऋणदाता	148	02	150	10	140
3.	न्यायालय द्वारा समाप्त किया जाना	5025	183	5208	67	5141
4.	न्यायालय के पर्यावेक्षणक अधीन समाप्त किया जाना	03	शून्य	03	शून्य	03
	कुल	**6444**	**237**	**6681**	**81**	**6600**